

17

संख्या-1353/22-4-13-48(57)/11

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक-21 अक्टूबर, 2013

विषय:- जिला कारागार, उन्नाव में टाइप-2 के 16 नग आवासों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26514/नम-4/187, दिनांक-30.8.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1474/22-4-12-48(57)/12, दिनांक-31.01.2013 द्वारा जिला कारागार, उन्नाव में टाइप-2 के 16 नग आवासों के निर्माण हेतु ₹0-1,16,42,000/- (रुपया एक करोड़ सोलह लाख बयालिस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹0-46,40,000/- (रुपये छियालिस लाख चालीस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-30.8.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0-70,02,000/- (रुपये सत्तर लाख दो हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग दिनांक-31.03.2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

E.C (H.C.)

22-10-13

धनराशि

23 X 15

- 2- इस निमित्त होने वाला व्यय चातू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिये आवासों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।
- 3- उक्त शासनादेश दिनांक-31.01.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप सं०बी-1-640/वस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.13 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

11037
167
23/10/13

भवदीय,
(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-1353(1)/22-4-2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०,इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।